

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा को दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के रकबा 0.262 हे. वन भूमि जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 19 -07-2024

Place : Raipur

Name

-

Richa Sharma

Designation

-

Additional Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nava Raipur, Atal Nagar

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-17/2024/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/07/2024

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015।

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for "LIC Building Dantewada" area 0.262 ha. Compartment No. P1373.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-759/1438, दिनांक 18.06.2024।

—00—

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - आवेदनकर्ता, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के रकबा 0.262 हे. वन भूमि जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक -FP/CG/Other/36479/ 2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव पृष्ठ 02 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराये गये हैं जिसे दंतेवाड़ा वनमंडल के पी. डी. खाता 8443 -106 व्यक्तिगत जमा में चालान के माध्यम से जमा कराया गया है।	2
3	वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित परियोजना हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 0.262 हे. प्रस्तावित है।	3 - 4
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	5 - 6
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वेऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर - प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	7 - 8
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप - वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। इंडेक्स मैप के उपरांत एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया गया वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	9 - 10

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव- प्रपत्र-4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2.70 लाख रु. है। यूजर एजेंसी ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के 0.262 हे. वन भूमि जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है। वन का घनत्व 0.4 तक है।	11 – 24
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - आवेदनकर्ता, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के रकबा 0.262 हे. प्रभावित हो रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम का नवनिर्मित भवन निगम से जुड़े सभी वर्गों जैसे अभिकर्ता, अधिकारी कर्मचारी सभी को क्षेत्र के बीमा धारकों को बेहतर बीमा सेवा प्रदान करने में सहायक होगा जिससे बीमा धारक एवं सेवाकर्ता सभी संबंधितों को गर्व एवं संतोष प्राप्त होगा। विस्तृत विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-25 में संलग्न है।	25
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा के द्वारा वचन पत्र दिया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु दंतेवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगुने वन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार द्वारा जो भी शर्त लागू की जावेगी। (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	26
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए वन भूमि की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में अन्य विकल्पों का पता लगाया गया किन्तु कोई भी विकल्प उचित नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होने से प्रस्तावित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	27
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - वन भूमि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	28
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) - प्रस्तावित कार्य हेतु आवेदित वन भूमि वृक्ष विहीन है। अतः वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है।	29
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस - प्रकरण 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	30
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) - प्रकरण में राजस्व भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	31
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।	32
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना - वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 1.00 हे. से कम होने के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाने के प्रावधान अनुसार जो व्यय आवेगा वह राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।	33 – 34

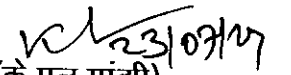
वि. क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – चूंकि प्रकरण में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाया जाना होगा। एवं वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	35
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा के प्रतिवेदन अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	36
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – प्रस्ताव के पृष्ठ 36 के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।	37
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – प्रस्ताव के पृष्ठ 36 के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।	38
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र– परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतएव गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	39
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	40
23	रिक्लेमेशन प्लान – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	41
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	42
25	व्यवस्थापन प्लान– भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	43
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन है जिसके अनुसार साईट क्वालिटी III तथा वनो का घनत्व 0.4 बताया गया। वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल द्वारा दिनांक 17.09.2020 से स्थल निरीक्षण कर वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा दिनांक 02.06.2022 से वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	44 – 52
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का प्रमाण पत्र संलग्न है।	53
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दंतेवाड़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	54 – 56
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – जिले की कुल वन भूमि रकबा 1242.505 वर्ग कि.मी. का विवरण संलग्न है।	57

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव, फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – 19 स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा 3217.624 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन किया गया है।	58
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण व्यपवर्तित नहीं किया गया है।	59
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में माँ दंतेश्वरी मंदिर स्थित है।	60
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	61
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कलेक्टर दंतेवाड़ा के पत्र दिनांक 20.08.2018 से वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	62 – 63
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रकरण में कार्यालय भवन निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर, दंतेवाड़ा के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	64
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	65 – 65 ए
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	66
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – वन परिक्षेत्र दंतेवाड़ा अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1373 रकबा 0.262 हे. क्षेत्रफल पर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण हेतु ग्राम दंतेवाड़ा वन भूमि 0.262 हे. भूमि मृदा वर्गीकरण के 5वीं सूची में आता है, जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है तथा मृदा क्षरण की संभावना कम है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना को दिया जा सकता है।	67 – 68
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में वचन पत्र यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा के द्वारा दिया गया है।	69 – 69 ए
40	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – प्रमाण पत्र लगाया गया है। आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है, अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	70
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – संलग्न है।	71
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुशंसा की गई है तथा 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, हाथी कोरीडोर भी स्थित नहीं है।	72

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।	73
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण – अतिरिक्त जानकारी स्वरूप अन्य अभिलेख संलग्न है।	74 – 77

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर Parivesh-I में अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।
संलग्न : – उपरोक्तानुसार।


(के.एल.मांझी)

अवर सचिव,

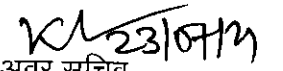
छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/07/2024

पृ.क्रमांक एफ 5-17/2024/10-2
प्रतिलिपि:-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर,, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
 - 4.महाप्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, ब्रांच ऑफिस, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

५८